माननीय एस. डी. अग्रवाल और जे. एल. गुप्ता, जे.जे. के समक्ष

बलबीर सिंह वाश,-याचिकाकर्ता।

बनाम

लखबीर सिंह वासु और अन्य, -प्रतिवादी।

1993 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 694।

5 अक्टूबर 1993

लेटर पेटेंट अपील-खंड X-अपील की रखरखाव-उच्च न्यायालय में प्रोबेट मामले में कार्यवाही मूल कार्यवाही है-वसीयत के निष्पादक को वसीयत की शर्तों के अनुसार नकदी वितरित करने की अनुमति देने वाला एकल न्यायाधीश का आदेश, पक्षों के मूल्यवान महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित करता है-अपील ऐसे अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ होती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि तत्काल मामले में प्रोबेट देने की कार्यवाही मूल कार्यवाही है। माना गया कि मौजूदा मामले में, प्रोबेट देने की कार्यवाही मूल कार्यवाही है। विद्वान एकल न्यायाधीश का वसीयत के निष्पादक को वसीयत की शर्तों के अनुसार उसके पास मौजूद नकद राशि को वितरित करने की अनुमति देने का आदेश मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करता है। आदेश का पार्टियों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह केवल उस प्रकृति का स्थगन आदेश नहीं है जो इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का विषय था, बल्कि क्षणिक मामलों का निर्णय करता है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। दूसरी ओर, तत्काल मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दायरे में आता है, स्पष्ट रूप से यह राय है कि प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान

वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार नहीं है और अपील आक्षेपित आदेश के विरुद्ध है।

(पैरा 12)

उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39), धारा 307(2) - संपत्ति के निपटान के लिए निष्पादक की शक्ति - निष्पादक मृतक की संपत्ति का पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी तरीके से निपटान कर सकता है जिसे वह उचित समझे - अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई निषेध नहीं है, जिसमें कहा गया है कि अदालत के पास कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है - अदालत के पास संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए विवादास्पद कार्यवाहियों में अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है।

अभिनिर्धारित किया गया कि वास्तव में अधिनियम की धारा 307 विशेष रूप से प्रदान करती है कि निष्पादक के पास मृतक की संपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जिस तरीके से वह उचित समझे, निपटाने की शक्ति है। माना गया कि वास्तव में अधिनियम की धारा 307 विशेष रूप से प्रदान करती है कि निष्पादक के पास मृतक की संपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जिस तरीके से वह उचित समझे, निपटाने की शक्ति है। अधिनियम की धारा 307 की उपधारा 2 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिनमें संपत्ति का सौदा करने से पहले निष्पादक को न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी भी मामले में अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई निषेध नहीं है कि प्रोबेट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान न्यायालय के पास अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी वसीयत पर विवाद होता है, तो अदालत में कार्यवाही सिविल कार्यवाही का रूप ले लेती है और सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार जितना संभव हो

सके, मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चूंकि विवादास्पद मामलों में कार्यवाही का विचारण सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाना है, अतः जिस न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियां लंबित हैं, उसमें ऐसी आस्तियों की रक्षा और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है जो प्रश्नगत विषय हैं।

(पैरा 14)

उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39) की धारा 247- ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां वसीयत के तहत कोई निष्पादक नहीं है और न्यायालय को संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है - वर्तमान मामले में वसीयत के तहत निष्पादक नियुक्त किया गया है -मुकदमे के लंबित रहने के दौरान नियुक्त निष्पादक और प्रशासक के बीच स्पष्ट अंतर - धारा 247 वर्तमान मामले में लागू नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि वाद के लंबित रहने के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त निष्पादक और प्रशासक के बीच स्पष्ट अंतर है। अधिनियम की धारा 247 ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां वसीयत के तहत कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया जाता है और न्यायालय को संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। तत्काल मामले में वसीयत के तहत एक निष्पादक नियुक्त किया गया है।अधिनियम की धारा 247 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और इस प्रकार उन पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39) - धारा 273 और 295 - प्रोबेट देने की कार्यवाही - जिला न्यायाधीश की कार्यवाही के साथ समवर्ती - एक मुकदमे की प्रकृति में उच्च न्यायालय के समक्ष विवादास्पद मामले में कार्यवाही -कार्यवाही

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार होनी चाहिए - प्रोबेट देने के लिए उच्च न्यायालय में कार्यवाही मूल कार्यवाही की प्रकृति में है।

अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उच्च न्यायालय में प्रोबेट की मंजूरी के लिए कार्यवाहियां जिला न्यायाधीश की कार्यवाहियों के समवर्ती हैं, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष किसी विवादास्पद मामले में कार्यवाहियां भी वाद की प्रकृति की होंगी और कार्यवाहियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार यथासंभव होंगी। उच्च न्यायालय में प्रोबेट देने की कार्यवाही मूल कार्यवाही की प्रकृति की होती है।

माननीय श्री न्यायमूर्ति जी.आर. मजीठिया के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट की धारा एक्स के तहत 6 सितंबर, 1993 को सी.एम. में पारित पत्र पेटेंट अपील। 1993 के प्रोबेट केस नंबर 2 में 1993 का नंबर 6705-सीआईआई।

अपीलकर्ताओं के लिए जे.एस. वासु, वकील।

आर. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता वी. के. सूरी के साथ। प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वकील।

2 से 5 के लिए मेजर मनमोहन सिंह.

प्रतिवादियों की ओर से वकील विनोद सूरी।

लखबीर सिंह वासु, व्यक्तिगत रूप से वकालत करें।

निर्णय

एस. डी. अग्रवाल, सी. जे.

(1) यह एक लेटर्स पेटेंट अपील है जो 6 सितंबर, 1993 के एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसे 1993 के प्रोबेट केस नंबर 2 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिवंगत हरनाम सिंह वासु, वरिष्ठ अधिवक्ता, चंडीगढ़ के माल के

संबंध में पारित किया था। आदेश में स्वर्गीय हरनाम सिंह वासु की वसीयत के निष्पादक को वसीयत में निर्दिष्ट तरीके से मृतक के उत्तराधिकारियों को नकद राशि वितरित करने के लिए कहा गया है।

(2)संक्षेप में, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः—

(3) हरनाम सिंह वासु चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे।उन्होंने 5 जुलाई, 1992 को एक वसीयत का निष्पादन किया।8 फरवरी, 1993 को चंडीगढ़ में लगभग 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया।हरनाम सिंह वासू के छह बच्चे थे; तीन बेटे, नाम से, बीर सिंह वासू, लखबीर सिंह वासू और गुरचरण बीर सिंह वासू और तीन बेटियाँ, नाम से, श्रीमती सुरिंदर कौर, श्रीमती जतिंदर कौर और श्रीमती भूपिंदर कौर, जो सभी विवाहित हैं।गुरचरण बीर सिंह वासु इंग्लैंड में बस गए थे।16 सितंबर, 1991 को वहाँ एक कार दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई, वे अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती कुलवंत कौर वासु और बच्चों को छोड़ गए।मृत्यु के समय, परिणामस्वरूप, हरनाम सिंह वासु (बाद में मृतक के रूप में संदर्भित) के दो जीवित बेटे, एक पूर्व-मृत बेटे की पत्नी और तीन बेटियां थीं।

(4)मृतक के पास मकान नंबर 15, सेक्टर1 9-ए, चंडीगढ़ में 7/12वां हिस्सा था। वह मकान नंबर 1185, सेक्टर 3-सी, चंडीगढ़ के एकमात्र मालिक थे।।दो घरों के अलावा, मृतक के पास सार्वजनिक भविष्य निधि, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और अन्य बचत खातों में भी कुछ राशि जमा थी।

(5) 5 जुलाई 1992 की वसीयत के अनुसार, मृतक ने अपनी संपत्ति उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर दी थी। यह वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज़ है और इसके प्रमाणित गवाहों में से एक इस न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति हरबंस सिंह हैं।वसीयत में, मृतक के बेटों में से एक, लखबीर सिंह वासु, अधिवक्ता को वसीयत का निष्पादक नियुक्त किया गया था।

(6) 23 मई, 1993 को, निष्पादक लखबीर सिंह वासु ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 273 के तहत प्रोबेट केस नंबर 2, दायर किया और मृतक की संपत्ति के संबंध में वसीयत का प्रोबेट देने की प्रार्थना की। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, निष्पादक ने 25 अगस्त, 1993 को एक आवेदन दायर किया कि मृतक से संबंधित और उसके द्वारा नामित व्यक्ति के रूप में प्राप्त 6,56,614.29 की राशि को वसीयत की शर्तों के अनुसार वितरित किया जाएगा। इस आवेदन का मृतक के दूसरे बेटे बलबीर सिंह वासु ने विरोध किया। उन्होंने वसीयत की वैधता को भी चुनौती दी थी।इस आवेदन पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 6 सितंबर, 1993 को निष्पादक लखबीर सिंह वासु को वसीयत में उल्लिखित राशि को वसीयत में निर्दिष्ट तरीके से उत्तराधिकारियों को वितरित करने की अनुमति दी। यह आदेश ही वर्तमान अपील का विषय है।

(7)यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता बलबीर सिंह वासु इस न्यायालय के अधिवक्ता हैं। निष्पादक, लखबीर सिंह वासु भी इस न्यायालय के एक अधिवक्ता हैं।यह अपील 13 सितंबर, 1993 को दायर की गई थी और 22 सितंबर, 1993 के लिए प्रस्ताव का नोटिस/की सूचना जारी किया गया था।22 सितंबर, 1993 को पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि अपील पर ही सुनवाई की जाए।इन परिस्थितियों में, हम योग्यता के आधार पर ही अपील पर निर्णय ले रहे हैं।

(8)हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि जब तक प्रोबेट कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है और वसीयत को कानून की नजर में एक वैध वसीयत नहीं माना जाता है, तब तक विद्वान एकल न्यायाधीश ने वसीयत के संदर्भ में निष्पादक द्वारा प्राप्त नकद राशि को मृतक के उत्तराधिकारियों को वितरित करने में गलती की हैं।प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस निवेदन का विरोध किया है और

आगे प्रारंभिक आपत्ति ली है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ अपील बनाए रखने योग्य नहीं है।

(9) अब हम अपील की विचारणीयता के संबंध में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करेंगे। प्रोबेट देने की याचिका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 273 के तहत दायर की गई है।अधिनियम की धारा 295 में यह उपबंध किया गया है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष किसी मामले में, जिसमें विवाद है, कार्यवाहियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के अनुसार, यथासंभव नियमित वाद का रूप लेंगी, जिसमें यथास्थिति, परिवीक्षा या प्रशासन के पत्रों के लिए याचिकाकर्ता वादी होगा और वह व्यक्ति जो अनुदान का विरोध करता हुआ प्रकट हुआ है, प्रतिवादी होगा। चूँकि उच्च न्यायालय में प्रोबेट की मंजूरी के लिए कार्यवाही जिला न्यायाधीश की कार्यवाही के साथ समवर्ती है, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष किसी विवादास्पद मामले में कार्यवाही भी वाद की प्रकृति की होगी और कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार जितनी हो सके उतनी होगी। उच्च न्यायालय में प्रोबेट देने की कार्यवाही मूल कार्यवाही की प्रकृति की होती है।

(10) अपील की स्थिरता लाहौर में न्यायिक उच्च न्यायालय का गठन करने वाले लेटर्स पेटेंट के खंड X पर निर्भर करेगी जो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं।खंड X इस प्रकार हैः- 10. और हम आगे यह आदेश देते हैं कि उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय (जो उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में की गई डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में पारित निर्णय नहीं है, और पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में दिया गया आदेश नहीं है, और भारत सरकार अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों के तहत अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में या आपराधिक अधिकारिता के प्रयोग में

पारित या बनाया गया दंड या आदेश नहीं है) के खिलाफ लाहौर में उक्त उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।पूर्ण पीठ का विचार था कि स्थगन आदेश के खिलाफ जिसमें किसी भी अधिकार या दायित्व का कोई निर्धारण शामिल नहीं है जो अंततः विवाद के गुणों को प्रभावित कर सकता है, लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है।

यह खंड मैसर्स एल.टी.सी. लिमिटेड बनाम मैसर्स भाटिया ब्रदर्स और अन्य (1) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष व्याख्या के लिए आया था।पूर्ण पीठ का विचार था कि स्थगन आदेश के खिलाफ जिसमें किसी भी अधिकार या दायित्व का कोई निर्धारण शामिल नहीं है जो अंततः विवाद के गुणों को प्रभावित कर सकता है, लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है।

(11) यह खंड बाद में शाह बामीलाल खिमन बनाम जयाबेव डी. कानिया और अन्य (2) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आया।माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जहां एक विचारण न्यायाधीश किसी ऐसे विवाद का निर्णय करता है जो किसी एक पक्ष के मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करता है, उसे पेटेंट पत्र के अर्थ के भीतर एक निर्णय माना जाना चाहिए। प्रत्येक अंतर्वर्ती आदेश को निर्णय नहीं माना जा सकता है, बल्कि केवल वे आदेश ही निर्णय होंगे जो क्षणिक मामलों का निर्णय करते हैं या पार्टियों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करते हैं और जो संबंधित पक्ष के साथ गंभीर अन्याय करते हैं। हम उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय से बाध्य हैं जिसने लेटर्स पेटेंट के खंड X में निर्णय शब्द को परिभाषित किया है।

(12)मौजूदा मामले में, प्रोबेट देने की मंजूरी के लिए कार्यवाही मूल कार्यवाही है। विद्वान एकल न्यायाधीश का वसीयत के निष्पादक को वसीयत की शर्तों के अनुसार उसके पास मौजूद नकद राशि को वितरित करने की अनुमति देने का

आदेश मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करता है।आदेश का पक्षों के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह केवल उस प्रकृति का स्थगन आदेश नहीं है जो इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का विषय था, बल्कि क्षण के मामलों का निर्णय करता है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। दूसरी ओर, तत्काल मामला ऊपर निर्दिष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है। इसलिए, हमारी स्पष्ट राय है कि प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई सार नहीं है और एक अपील विवादित आदेश के खिलाफ है।

(13)अब हम अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार करेंगे। अपीलार्थी के विद्वत वकील ने अपने निवेदन के समर्थन में अधिनियम की धारा 247 पर भरोसा किया है और उसका तर्क है कि एक प्रशासक, किसी भी वाद के लंबित होने के दौरान, वसीयत की वैधता को छूते हुए, संपत्ति को वितरित करने का अधिकार या शक्ति नहीं रख सकता है और इस तरह विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई अनुमति पूरी तरह से अवैध है। वाद के लंबित रहने के दौरान न्यायालय द्वारा नियुक्त निष्पादक और प्रशासक के बीच स्पष्ट अंतर होता है। अधिनियम की धारा 247 ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां वसीयत के तहत कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया जाता है और न्यायालय को संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। तत्काल मामले में वसीयत के तहत एक निष्पादक नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 247 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और इस तरह उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(14)अभिनिर्धारित किया गया कि वास्तव में अधिनियम की धारा 307 विशेष रूप से प्रदान करती है कि निष्पादक के पास मृतक की संपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जिस तरीके से वह उचित समझे, निपटाने की शक्ति है।

माना गया कि वास्तव में अधिनियम की धारा 307 विशेष रूप से प्रदान करती है कि निष्पादक के पास मृतक की संपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जिस तरीके से वह उचित समझे, निपटाने की शक्ति है। अधिनियम की धारा 307 की उपधारा 2 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिनमें संपत्ति का सौदा करने से पहले निष्पादक को न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी भी मामले में अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई निषेध नहीं है कि प्रोबेट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान न्यायालय के पास अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी वसीयत पर विवाद होता है, तो अदालत में कार्यवाही सिविल कार्यवाही का रूप ले लेती है और सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार जितना संभव हो सके, मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चूंकि विवादास्पद मामलों में कार्यवाही का विचारण सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाना है, अतः जिस न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियां लंबित हैं, उसमें ऐसी आस्तियों की रक्षा और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है जो प्रश्नगत विषय हैं।कई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जब न्याय के हित में अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक हो जाएगा। ऐसा मामला हो सकता है जहाँ नष्ट की गई संपत्ति के विनाश से बचा जाना चाहिए। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां वसीयत के तहत लाभार्थियों को भरण-पोषण देना होगा; जहां संपत्ति किराए पर दी गई है, किराए का भुगतान किया जाना चाहिए। सभी संभावित परिस्थितियों और स्थितियों को पूरी तरह से निर्धारित करना संभव नहीं है।

(15)अपीलकर्ता की इस दलील के संबंध में प्रतिवादी के विद्वान वकील ने गौर मोनी दासी और अन्य बनाम बोराडा कांता जाना, (3) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, 1881 की धारा 34 विचार के लिए आई; जो बिल्कुल अधिनियम की धारा 247 के समान है। प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, 1881 की धारा 34 की

व्याख्या करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि प्रोबेट कार्यवाही में एक प्रशासक पेंडेंट लाइट की स्थिति विभाजन के मुकदमे में एक रिसीवर की स्थिति के समान है और प्रोबेट और प्रशासन की धारा 34 अधिनियम, 1881, न्यायालय को प्रशासक पेंडेंट लाइट को ऐसे कार्य करने का निर्देश देने की पर्याप्त शक्ति देता है जो कार्यवाही के कई पक्षों के हित में आवश्यक हो सकते हैं। हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचार से सहमत हैं। यह संभावित स्थितियों में से एक है।

(16)उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी स्पष्ट राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के पास अंतरिम आदेश पारित करने और कार्यवाही के कई पक्षों के हितों की रक्षा के लिए उसके समक्ष लंबित विवादास्पद प्रोबेट कार्यवाही में निष्पादक को अनुमति देने की शक्ति थी। .

(17)अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया है कि प्रोबेट कोर्ट केवल इस सवाल से चिंतित है कि क्या मृत व्यक्ति की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के रूप में सामने रखा गया दस्तावेज़, कानून और प्रश्न के अनुसार विधिवत निष्पादित और प्रमाणित किया गया था। विशेष वसीयत अच्छी है या बुरी, यह प्रोबेट कोर्ट के दायरे में नहीं है। यह कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम एसएम कांता देवी और अन्य (4) पर भरोसा किया।ईश्वरदेव नारायण सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांत को चिरंपादल श्रीलाल गोयनका (मृतक) बनाम जसजीत सिंह और अन्य (5) के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले में दोहराया गया है। इस मामले में यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रोबेट न्यायालय स्वामित्व के किसी भी प्रश्न का निर्णय नहीं करता है और प्रोबेट न्यायालय केवल इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या उसके समक्ष रखे गए दस्तावेज़ को विधिवत निष्पादित किया गया था और कानून के अनुसार

सत्यापित किया गया था और क्या इस तरह के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता के पास सही विवेक था।

(18)हमारी राय में, ईश्वरदेव नारायण सिंह के मामले (ऊपर) के मामले में निर्धारित सिद्धांत और उसके बाद चिरंजीलाल के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय किसी भी तरह से विवादित आदेश को अमान्य नहीं बनाता है। विद्वत एकल न्यायाधीश संपत्ति के स्वामित्व में नहीं गया है जो वसीयत का विषय है। विद्वान न्यायाधीश ने निष्पादक को केवल वसीयत की शर्तों के अनुसार नकदी वितरित करने की अनुमति दी है ताकि न्यायालय में कार्यवाही में देरी से न्यायालय के समक्ष पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(19) जिस आवेदन पर विवादित आदेश पारित किया गया है, उसमें निष्पादक ने अदालत से 6,56,614.29 रुपये वितरित करने की अनुमति मांगी थी, जो उसे विभिन्न प्रमाणपत्रों, बचत बैंक खातों और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आदि से प्राप्त हुई थी। नकद राशि को शुरू में अंतिम संस्कार, भोग समारोह, लैंगर और अन्य प्रथागत खर्चों, चिकित्सा उपचार में किए गए खर्चों, कुछ धर्मार्थ वसीयतों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को भुगतान, मृतक के बहुत पुराने कर्मचारियों को भुगतान आदि के संबंध में खर्चों को पूरा करने के लिए वितरित किया जाना था और शेष राशि मृतक के सभी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित की जानी थी जो वसीयत के तहत लाभार्थी हैं।

(20) पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि व्यय आदि के लिए भुगतान करने के बाद, प्रत्येक उत्तराधिकारी को वितरित की जाने वाली अधिकतम राशि लगभग रु 70, 000 हैं । अपीलार्थी उत्तराधिकारियों में से एक है। उसे निष्पादक से राशि भी मिल जाएगी, उसका मामला यह है कि संपत्ति मृतक की स्व-अधिग्रहित संपत्ति नहीं है, बल्कि पैतृक संपत्ति है और उसने उस उद्देश्य के लिए सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर किया है। यहां तक कि अगर ऐसा है, और

अपीलार्थी सफल होता है, तो भी मृतक की संपत्ति में मृतक के उत्तराधिकारियों का हिस्सा होगा, हालांकि यह सवाल कि संपत्ति पैतृक संपत्ति है या नहीं, पक्षों द्वारा विवादित है ।

(21) अपीलकर्ता के अनुसार यह विवादित नहीं है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में स्थित मकान नंबर 1185 की कीमत कम से कम पंद्रह लाख रुपये है जो मृतक के एकमात्र नाम पर है। इसलिए, भले ही वसीयत मौजूद न हो, फिर भी, जिन लाभार्थियों को नकद राशि वितरित की जानी है, उनके पास ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति में एक मूल्यवान हिस्सा है और इस तरह उनके शेयरों का मूल्य उस राशि से बहुत बड़ा है जो उन्हें वितरित किया जाना है। इसलिए, यदि वसीयत की शर्तों के अनुसार राशि उत्तराधिकारियों को वितरित की जाती है, तो अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश पारित करने में गलती की है, वास्तव में मृत्यु के बाद आवश्यक कुछ जरूरी खर्चों को पूरा करना होता है।विवादित आदेश न्याय के हित में है।

(22) अंत में, यह देखा जा सकता है कि यह दो सगे भाइयों, जो दोनों इस न्यायालय के वकील हैं, के बीच मृतक की संपत्ति के संबंध में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमा है, जो उनके पिता थे जो इस न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील भी थे। जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। हमें उम्मीद है कि भाई कारण समझेंगे और अपने बीच मुकदमेबाजी को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करेंगे, यह ध्यान में रखते हुए कि संबंधित वसीयत न केवल पंजीकृत है बल्कि इस न्यायालय के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह द्वारा प्रमाणित भी है।

1. (23) ऊपर दिए गए प्रस्तावों के लिए, हम अपील को खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रशमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा